

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।

पत्रांक-704 / 14 -1(कैम्प चन्दौसी) दिनांक -5-10-2021।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी,
सी-13, द्वितीय तल, पर्यटन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ।

विषय:- गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के संरेखण में आने वाले आरक्षित/संरक्षित वन भूमि सम्बन्धित शुद्ध वर्तमान मूल्य के आगणन हेतु वन क्षेत्र की श्रेणी प्रमाणित किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक 5816/1832/यूपीडा/20(वन) दिनांक 04.10.2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में सम्भल वन प्रभाग, सम्भल के अन्तर्गत गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के संरेखण में आने वाली संरक्षित वन भूमि से सम्बन्धित वांछित बिन्दुवार सूचना निम्नवत् प्रेषित की जा रही है:-

शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) के आगणन हेतु वन क्षेत्र की श्रेणी

- | | |
|---|----------|
| 1. प्रभावित वन क्षेत्र का वास्तविक घनत्व- | 0.2 |
| 2. प्रभावित वन भूमि का ईको क्लास- | 3 |
| 3. उपरोक्त ईको क्लास एवं वानस्पतिक घनत्व वाली भूमि का शुद्ध वर्तमान दर प्रति हे0- | 626000/- |

भवदीय

(अरविन्द कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी,
सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।

संख्या- 704 / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (2) मुख्य वन संरक्षक, रुहेलखण्ड जोन, उत्तर प्रदेश बरेली।
- (3) वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।
- (4) अधिकृत अधिकारी मे0 एल0एन0 मालविया इन्फ्राप्रोजेक्ट्स प्रा0लि0, भोपाल।

(अरविन्द कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी,
सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।